इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 2493-एफ-3-02-2011-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

[देखिये धारा 3 (1)]

भाग-क

नीचे दर्शित प्रयोजनों के लिए बेची गई/प्रदाय की गई विद्युत्

निम्नदाब उपभोक्ता

अनुक्रमांक (1)	उपभोक्ता की श्रेणी (2)	उपभुक्त विद्युत् (यूनिट में) (3)	प्रतिमाह विद्युत की प्रति यूनिट टैरिफ की प्रतिशत में शुल्क की दर (4)
		निम्नदाब उपभोक्ता	
1.	घरेलू उपभोक्ता	100 यूनिट तक	9
		100 यूनिट से अधिक	12
2.	गैर-घरेलू उपभोक्ता	50 यूनिट तक	9
		50 यूनिट से अधिक	15
3.	उद्योग		9

टीप: उद्योग के अंतर्गत पावरलूम, आटा चक्कियां, आयल एक्सपेलर, थ्रेसर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी भी आती है.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	स्टोन क्रशर (गिट्टी, गिट्टा, बजरी)		9
5.	खानें		40
6.	अन्य श्रेणी, जो अनुक्रमांक 1 से 5 में नहीं है.		12
उच्चदाब उपभोक्ता			
7.	खानें		40
8.	सीमेंट उद्योग एवं सीमेंट उद्योग की बध्य खानें (केप्टिव माईन्स).		15
9.	स्टोन क्रशर (गिट्टी, गिट्टा, बजरी)		15
10.	अन्य उद्योग, जो अनुक्रमांक 7 से 9 में नहीं है		9
11.	अन्य श्रेणी के उपभोक्ता, जो अनुक्रमांक 7 से 10 में नहीं है.		15

परन्तु यदि किसी प्रयोजन के लिए उपभोग किए जाने के हेतु बेची विद्युत् यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी की सहमति के बिना, उपभोग के लिए या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन जिसके लिए कि शुल्क की कोई उच्चतर दर प्रभार्य है, उपभोग की जाने के हेतु या तो पूर्णत: या अंशत: उपयोग में लाई जाती है, तो बेची गई या प्रदाय की गई सम्पूर्ण विद्युत् पर लागू उच्चतर दर प्रभार्य होगी.

भाग—ख

{देखिये धारा 3 (2)}

12.	राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यय से अभिप्राप्त विद्युत् के उपभोग के लिए.	शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जाएंगी मानो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् प्रदाय की गई हो.

भाग—ग

[देखिये धारा 3 (3)]

13.	उत्पादन कंपनी, उत्पादक तथा केप्टिव उत्पादक संयंत्र द्वारा राज्य के अन्य किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत्.	शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जाएंगी मानो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस उपभोक्ता को विद्युत् प्रदाय की गई हो.
14.	केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादक या उत्पादन कंपनियों द्वारा उनके सहायक उपकरण (आक्जीलरी) के उपभोग के लिए तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु उपभुक्त विद्युत् के लिए.	टैरिफ का 12 प्रतिशत जो कि लागू होता यदि विद्युत्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई होती.

स्पष्टीकरण:—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए—

(क) ''मास'' से अभिप्रेत है, ऐसी कालावधि जो कि विहित की जाए और ऐसी कालावधि के विहित किए जाने तक, बिलिंग मास;

(ख) ''खान'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसी खान जिसको खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) लागू होता है और उसके अन्तर्गत है किसी खान में स्थित या उससे लगा ऐसा परिसर या मशीनरी और जिसका उपयोग खनिज को चूरा करने (क्रशिंग), उसका प्रसंस्करण करने या उसका परिवहन करने के लिए किया जाता हो;

(ग) विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी और 50 पैसे या उससे अधिक के किसी भाग को उसके अगले उच्चतर रुपयों तक पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जाएगा;

(घ) ''टैरिफ'' से अभिप्रेत है, ऊर्जा की प्रति यूनिट दर, जो कि उपभोग के विभिन्न प्रवर्गों के लिए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर लागू की जाए;

(ङ) ''उपभोक्ता श्रेणी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ आदेश में यथापरिभाषित उपभोक्ता की श्रेणी;

टीप: उपभोक्ता अनुक्रमांक 13 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन से विद्युत् का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को, तृतीय पक्ष को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् पर और इस विद्युत् ऊर्जा के कैप्टिव उपभोग पर, नीचे दी गई सारणी में वर्णित कालावधि तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त होगी:—

सारणी

अ. क्र.	नवकरणीय स्त्रोत	छूट की कालावधि	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सौर, विंड एवं बायोमॉस आधारित उत्पादन स्टेशन.	10 वर्ष	कॉलम (3) में यथा उल्लिखित छूट की कालावधि ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा विद्युत् का उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से प्रारंभ होगी:
2.	लघु जल आधारित उत्पादन स्टेशन.	5 वर्ष	परन्तु यह छूट किसी विद्युत् वितरण अनुज्ञापत्र धारक/ व्यापार कंपनी/ फ्रैंचाइजी द्वारा किसी उत्पादक को आग्जीलरी उपभोग हेतु प्रदाय की गई विद्युत् पर लागू नहीं होगी: परन्तु यह और कि यह छूट केवल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु जारी की गई नीतियों, अर्थात् मध्यप्रदेश में बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति, 2011 मध्यप्रदेश में लघु जल विद्युत् आधारित परियोजना क्रियान्वयन नीति, 2011, पवन ऊर्जा परियोजना नीति, 2012, सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की क्रियान्वयन नीति-2012, में से किसी के अधीन स्थापित परियोजनाओं को उपलब्ध होगी.

परन्तु निरसित मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1949 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-1375-तेरह-2002, दिनांक 1 मार्च, 2002 सहपठित अधिसूचना क्रमांक एफ-03-13-2007, दिनांक 24 मार्च 2007 के अधीन विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट का लाभ ले रहा कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट का लाभ प्राप्त करता रहेगा.

No. 2493-F-3-02-2011-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the schedule to the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said Act, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE

[See Section 3 (1)]

PART-A

Electricity sold/supplied for the purpose as shown below

LOW TENSION CONSUMER

S. No. (1)	Consumer Category (2)	Consumed Electricity (in units) (3)	Rate of electricity duty in Percentage of tariff per unit of electricity per month (4)
1.	Domestic Consumer	(a) up to 100 units (b) above 100 units	9 12
2.	Non-Domestic Consumer	(a) up to 50 units (b) above 50 units	9 15
3.	Industry		9

Note: Industry includes Power-Looms, Flour Mills, Oil expeller, Thresher and similar other machinery used for agricultural processing.

4.	Stone Crusher (Stone aggregates-Gitti, Gitta, Gajri)		9
5.	Mines		40
6.	For any other class not included under Sr. No. 1 to 5.		12
	HIGH TENSION CONSUMER		
7.	Mines		40
8.	Cement Industry and Captive Mines of Cement Industry.		15
9.	Stone Crusher (Stone aggregates-Gitti, Gitta, Bajri).		15
10.	Other Industry not included in serial No. 7 to 9.		9
11.	For any other class consumer not included in serial No. 7 to 10.		15

Provided that if electricity sold or supplied for consumption for any one purpose, is used either wholly or partially, without the consent of Distribution Licensee or Franchisee, as the case may be, for consumption or any other purpose for which a higher rate of duty is chargeable the entire electricity sold or supplied shall be charged at the highest rate applicable.

PART-B
[See Section 3 (2)]

12.	For consumption of electricity obtained through open access from outside the State.	The rate of duty shall be calculated as if the electricity is supplied by Distribution Licensee.

PART-C
[See Section 3 (3)]

13.	Electricity sold or supplied by generating company, producer and captive generating plant to any consumer in the State.	The rate of duty shall be same as if the electricity is supplied by the Distribution Licensee to that consumer.
14.	For the electricity consumed by captive generating plants, producers or generating companies for their auxiliary consumption and for their own consumption.	12 percent of the tariff which would have been applicable if the electricity is supplied by Distribution Licensee.

Explanation.—For the purposes of this Schedule.—

(a) "month" means such period as may be prescribed and till such period is prescribed, the billing month;

(b) "mine" means a mine to which the Mines Act, 1952 (No. 35 of 1952) applied and includes the premises or machinery situated in or adjacent to a mine and used for crushing, processing, treating or transporting the mineral;

(c) The electricity duty shall be calculated on the basis or actual percentage of tariff in a month and fraction of 50 paise and above shall be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise shall be ignored;

(d) "tariff" means the rate of electricity per unit as may be determined from time to time by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission on the various categories of consumption;

(e) "category of consumer" means the category of consumer as defined in tariff order determined by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

Note.—Notwithstanding anything contained at serial number 13 and 14 above, any person producing electricity from generating station based on renewable source of energy shall be exempted from payment of electricity duty on electricity sold or supplied to the third party and on consumption of this electrical energy for captive use for the period and subject to the conditions mentioned in the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Renewable source (2)	Period of exemption (3)	Conditions (4)
1.	Solar, Wind and Biomass based generating station.	10 years	Period of exemption as mentioned in column (3) would commence from the date of commencement of generation of electricity by such generating station:

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Small Hydro based generating stations.	5 years	Provided that the exemption shall not be available on energy supplied by a Distribution Licensee/Trading Company/Franchisee to the generator for its auxiliary consumption : Provided further that the exemption shall be available only to the projects established under any of the policies issued by the New and Renewable Energy Department, Government of Madhya Pradesh for promoting setting up of generating projects based on renewable sources of energy, namely, Policy for Implementation of Biomass based Electricity (Power) Projects in Madhya Pradesh, 2011, Policy for Implementation of Small Hydel Power based electricity projects in Madhya Pradesh, 2011, Wind Power Projects Policy, 2012 and Policy for Implementation of Solar Power based projects in Madhya Pradesh, 2012:

Provided that also any person getting benefit of exemption from payment of electricity duty under Notification No. F-1475-XIII-2002 dated 1st March, 2002, read with Notification No. F-3-13-2007 dated 24th March, 2007, issued under the repealed Madhya Pradesh Electricity Duty Act, (No. 10 of 1949) shall continue to get such exemption till the completion of the period specified in the said notification as per sub-section (2) of Section 15 of Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.